

REO-57

जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

(समन्वय सचिव का कार्यालय)  
न्यू मार्केट हाऊस, इन्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर-342003 फोन नं. 0291-2651337 (दिन) 26-1330(नि) फक्स नं. 2741070


क्रमांक- अप्रति/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-सीपीएम/पत्रावली/प्रैक्टिस 768 जोधपुर दिनांक 5/8/2003.

आदेश

विषय :- चोरी करते पाये जाने वाले सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

समन्वय समिति की 59 वीं बैठक दिनांक 5/7/2003 में लिये गये निर्णयानुसार सामान्य श्रेणी के आवेदक जो चोरी करते पाये जाते हैं, तौ ऐसे आवेदकों से क्षतिपूर्ति (समझौता) राशि वसूल करने के पश्चात्, उनकी पत्रावली गिरस्त न की जाकर फार्म हाऊस श्रेणी में कनेक्शन जारी किये जा सकते हैं। ऐसे जारी फार्म हाऊस श्रेणी कनेक्शन को तीन वर्ष तक (अनुसूचित जाति के लिए 2 वर्ष तक) या आवेदक का सामान्य श्रेणी में कनेक्शन का नाम आने तक, जो भी बाद में हो, फार्म हाऊस श्रेणी में चार्ज किया जाये। फार्म हाऊस श्रेणी में नियमित कनेक्शन वर्तमान प्रचालित प्रक्रिया के भी तहत जारी रहेंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

  
(आर.एस. चौधरी)  
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।